(73)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक——/2012 पुनरीक्षण — 1789-I/12

अवधेश सिंह पिता गोपाल शरण सिंह

निवासी ग्राम रम्पा

तहसील एवं जिला–सिंगरौली

विरूद्ध

1 गेबी अहीर पिता दशरथ अहीर

2 बलजीत पिता दशरथ अहीर

3 लालजी पिता दशरथ अहीर

4 छोटेलाल पिता दशरथ अहीर

निवासी ग्राम रम्पा

तहसील एवं जिला–सिंगरौली

कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 104/2010–2011 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 27–6–2011 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1 यह कि कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2 यह कि आवेदक के रिहन्द बांध के विस्थापित कृषक होने के कारण पनर्वास योजना के अन्तर्गत दिनांक 11–6–1961 को ग्राम रम्पा की भूमि सर्वे कमांक 55 एवं 41 व्यवस्थापित की गयी थी. व्यवस्थापन प्रकरण कमांक 188/60 * 60–61 में आदेश दिनांक 11–6–1961 द्वारा किया गया था. आवेदक के हित में दिनांक 12–6–1963 पट्टा जारी किया गया।

3 यह कि आवेदक तत्समय शिक्षारत था. तथा शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा में चला गया इस कारण अपने नाम की इतलायाबी राजस्व अभिलेखों में नहीं करा सका. कलांतर में आवेदक नें व्यवस्थापन के अभिलेख एकत्रित कर अपना नामांतरण कराने हेतु निश्चित कार्यवाहीं की।

4 यह कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल कमांक–4 चितरंगी नें विधिवत जांच करने की, पटवारी से प्रतिवेदन लिया एवं प्रकरण का अभिलेख देखने के पश्चात आदेश दिनांक 17–12–1998 द्वारा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में लिखे जाने का आदेशित किया. सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के पालन में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट किया गया।

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1789-एक/2012 जिला सिंगरौली

अवधेश विरूद्ध गेबी अहीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 104/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	